"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2006—ज्येष्ठ 12, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेन्द्र कुमार दीपांकन, आत्मज श्री शिवकुमार दीपांकन, जाति महार, निवासी ग्राम सिरमुन्दा, तहसील अं. चौकी, थाना अं. चौकी, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. मैं अपना (सरनेम) दीपांकन को परिवर्तित कर नया उपनाम दामले रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मुझे राजेन्द्र कुमार दामले आत्मज श्री शिवकुमार दामले के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजेन्द्र कुमार दीपांकन आत्मज- श्री शिवकुमार दीपांकन निवासी- ग्राम सिरमुन्दा थाना- अं. चौकी, तह.- अं. चौकी जिला- राजनांदगांव (छ. ग.)	राजेन्द्र कुमार दामले आत्मज- श्री शिवकुमार दामले निवासी- ग्राम सिरमुन्दा थाना- अं. चौकी, तह.- अं. चौकी जिला- राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2006

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 04/त.शा./का. यं./लो. स्वा./2006-07.—मुहरबंद एकल समूहवार एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "एफ" में नीचे उल्लेखित नल-जल प्रदाय योजनाओं के कार्य हेतु टर्न की जाब के आधार पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 12-06-2006 को अपरान्ह 5.00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, (छ. ग.) के निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा के तकनीकी प्रस्ताव निम्न तिथि अर्थात् दिनांक 13-6-2006 प्रातः 11 बजे से निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेगे. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि तथा स्थान की सूचना तकनीकी प्रस्ताव खोलने के बाद दी जावेगी.

कार्य का नाम

बिलासपुर जिले के निम्नलिखित ग्रामों में नलजल योजनाओं के अन्तर्गत आर. सी. सी. उच्च स्तरीय जलागार का डिजाईन, निर्माण, परीक्षण व स्थापित करना (सभी पाईप स्पेशल तथा फिटिंग आदि के प्रदाय तथा स्थापना सहित.)

ग्रु. क्र.	कार्य स्थल का विवरण	ठेके की संभावित राशि रु. लाखों में	धरोहर की राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम लिंगियाडीह, विकास खंड बिल्हा, टंकी की क्षमता 120 के. एल. ऊंचाई 12 मीटर.	9.60	7200/-	750/-	4 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर
2.	ग्राम मंगला, विकास खंड बिल्हा, टंकी की क्षमता 100 के. एल. ऊंचाई 12 मीटर.	8.00	6000/-	750/-	4 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर
3.	ग्राम बहतराई, विकास खंड बिल्हा, टंकी की क्षमता 60 के. एल. ऊंचाई 12 मीटर.	4.80	5000/-	750/-	3 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर

शर्तें

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 05-06-2006 तक (कार्यालयीन अवधि) में प्राप्त किये जावेंगे. कोरे निविदा प्रपत्र एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में दिनांक 07-06-2006 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगवाने पर रुपये 50/- अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु डाक से विलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा. निविदा की अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावे एवं उसके साथ निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

1. नवीन आयकर प्रमाण-पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्यिककर पंजीयन् प्रमाण-पत्र.
2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.
3. निविदा कार्य का समरूप, पूर्ण किये गये कार्य एवं अन्य प्रगतिशील कार्यों की सूची जिसमें कार्य का स्थान, अनुबंध की राशि, कार्यादेश का संदर्भ, कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना होगा.
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 100 के. एल. अथवा उससे अधिक क्षमता का उच्च स्तरीय आर. सी. सी. जलागार के निर्माण कार्य के संतोषप्रद संपादन का प्रमाण-पत्र जो कार्यपालन अभियंता, के स्तर से नीचे का अधिकारी न हो.
5. सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने हेतु उपलब्ध उपकरण एवं संयंत्रों की सूची.
6. ठेकेदार विस्तृत निविदा सूचना में उल्लेखित Terms तथा Conditions के मान्य करने तथा उनके अनुसार कार्य संपादित करेगा.
7. यदि ठेकेदार के द्वारा कोई ऐसी शर्तें तथा Conditions प्रस्तुत की जाती है जो कि विस्तृत निविदा सूचना में शामिल नहीं है या जो विस्तृत निविदा की शर्तों के विपरीत है, तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार के द्वारा दिये गये वित्तीय दर का लिफाफा नहीं खोला जावेगा.
8. यदि ठेकेदार के द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को मान्य करते हुए नि:शर्त निविदा प्रस्तुत की जाती है तब ऐसी स्थिति में कार्यपालन अभियंता के द्वारा तकनीकी आफर के साथ-साथ वित्तीय दर का लिफाफा भी खोला जावेगा. तत्पश्चात् प्रकरण अधीक्षण अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा.

अन्य शर्तें

1. एकमुश्त निविदा दर समस्त कर एवं अधिभार जो कार्य संपादन के समय प्रभावी हो सहित होना चाहिये.
2. कार्य हेतु ठेकेदार को आई. एस. आई. मार्क की आवश्यक ओ. पी. सी. सीमेंट आई. ए. 269-1975 की स्वयं लगाना होगा. साथ ही टेस्ट प्रमाण-पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा.
3. विलंब से प्राप्त निविदा अथवा निर्धारित स्वरूप में धरोहर राशि प्राप्त न होने पर प्रस्तुत निविदा बिना खोले ही निविदादाता को वापस कर दी जावेगी.
4. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी को होगा.
5. निविदाकार को वर्तमान में प्रगतिरत टंकी के कार्य का विवरण जैसे स्थान, विभाग, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का उल्लेख कर विवरण देना होगा.
6. जिस निविदाकार ने निविदा दिया है, तथा उनकी दर न्यूनतम एवं विचाराधीन है, इसके अन्तर्गत स्थान, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का पूर्ण उल्लेख होना चाहिये.
7. यदि किसी तथ्य को छुपाया जावेगा तो निविदाकार से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.
8. निविदाकार को न्यूनतम 100 किलो लिटर या उससे अधिकतम क्षमता की उच्च-स्तरीय आर. सी. सी. टंकी सफलतापूर्वक निर्माण का अनुभव (प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं प्रमाणीकरण कार्यपालन अभियंता, के स्तर अथवा उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी का होना चाहिये.

9. निविदा प्रपत्र सिर्फ आर. सी. सी. टंकी निर्माण का अनुभव प्राप्त ठेकेदारों को ही प्रदाय किया जावेगा.

10. समस्त विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

11. निविदा सूचना छ. ग. के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tender में उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार उक्त विज्ञप्ति e-mail के माध्यम से Pramarao@e.g.nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

12. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2006

पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 757/प्र. 1/अ. वि. अ./2006.—चूंकि श्री सम्पतलाल जी बोथरा, आ. स्व. श्री भंवरलाल जी बोथरा निवासी सदरबाजार, दुर्ग एवं श्री संजय कुमार जी देशलहरा आ. स्व. श्री धनराज जी देशलहरा निवासी धनराज काम्पलेक्स, स्टेशन रोड, दुर्ग द्वारा "श्री साधुमार्गी जैन संघ समता भवन ट्रस्ट" दुर्ग को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19-5-2006 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं तारन प्रकाश सिन्हा, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 19-5-2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री साधुमार्गी जैन संघ समता भवन ट्रस्ट, गांधी चौक, दुर्ग
(2)	संपत्ति का विवरण	:	22000/- रुपये नगद.

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2006

पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 759/प्र. 1/अ. वि. अ./2006.—चूंकि श्री पचकौड दास आ. दुर्जन निवासी सेक्टर-6, सड़क-2, क्वाटर 2-ए, भिलाई द्वारा "निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम" नेहरूनगर (जुनवानी) को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19-5-2006 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 19-5-2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम, नेहरूनगर (जुनवानी)
(2)	संपत्ति का विवरण	:	ग्राम जुनवानी तहसील दुर्ग, खसरा क्र. 835 रकबा 0.79 हे. ग्राम बनहरदी तहसील, राजनांदगांव खसरा नंबर 14, 115, 261, 324, 397, 62, 223, 320, 389 कुल रकबा 24.05.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक 01.—वन परिक्षेत्र अधिकारी सांकरा के पत्र क्र./1494 दिनांक 20-12-2005 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये पासिंग हैमर जो तात्कालीन परिक्षेत्र दक्षिण नगरी के R. D. F. कक्ष क्र. 111 के CBO कार्य हेतु प्रदाय किया गया था. जो वनपाल श्री मोहन लाल साहू तात्कालीन परिक्षेत्र सहायक फरसिंया द्वारा गुमा दिया गया है. हैमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये गुमशुदा पासिंग हैमर (↑ S R 263) आकृति को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हैमर की कीमत रुपये 40.00 (चालीस रुपये) उप वनक्षेत्रपाल, श्री मोहन लाल साहू तात्कालीन परि क्षेत्र सहायक फरसिंया से वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिए सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति कों उपरोक्त हैमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाना में या वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हैमर अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

आलोक कटियार,
वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 30 मार्च 2006

आदेश क्रमांक/मा. चि/134.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शाया गया करियागोंदी बीट का हैमर परिक्षेत्र डौण्डी लोहारा श्री जगतराम मरकाम वनरक्षक, करियागोंदी परिसर द्वारा दिनांक 2-1-06 को बीट भ्रमण के दौरान कहीं गिर गया है, जो आज दिनांक तक नहीं मिला है.

वन वित्तीय नियम.124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुमशुदा बीट हैमर को वनमंडल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम थाने में अथवा वनमंडल कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हैमर की कीमत 50/- (पचास रुपये) मात्र श्री जगतराम मरकाम तत्कालीन परिसर से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं. साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुये शासकीय कार्य में असावधानी बरतने के कारण श्री जगतराम मरकाम को चेतावनी दी जाती है.

राजेश नन्होरया,
वन मण्डलाधिकारी.

वन मण्डलाधिकारी, बीजापुर वन मण्डल, बीजापुर जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक 163.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, परिक्षेत्र मद्देड़ के सहायक परिक्षेत्र मोदकपाल के परिसर मोदकपाल परिसर रक्षक श्री गोकुलनाथ नेताम परिसर भ्रमण के दौरान दिनांक 02-04-2006 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट की गई. लूटपाट की गई अन्य सामग्रियों के साथ गोकुलनाथ नेताम, परिसर रक्षक के प्रभार का बीट हैमर जिसका क्रमांक W ↑ B 264 था, लूट की गई सामग्रियों के साथ लूट कर ले गए हैं. इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मद्देड़ पुलिस थाने में दर्ज की जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उपरोक्त बीट हैमर वनमंडल के स्टाक से अलग कर अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

आशुतोष मिश्रा,
वन मण्डलाधिकारी.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.